

कार्यालय-अध्यक्ष वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।  
आदेशांक वा0क0अधि0/यु0पी0ग0/ / /2019 लखनऊ, दिनांक: 16 दिसम्बर-2019

--: आदेश:--

उत्तर प्रदेश वैट नियमावली-2008 के नियम 64(3) में निहित शक्तियों के अधीन माह फरवरी-2020 का युगल पीठ गठन कार्यक्रम निम्नवत निर्गत किया जाता है :-

क्र०सं०	बैठने का स्थान	कार्य आवंटन	कार्य- अवधि
1	पीठ-1, आगरा	पीठ-1 व 2 आगरा	10.02.20 से 15.02.20
2	पीठ-1, गाजियाबाद	पीठ-1 व 2 गाजियाबाद	24.02.20 से 28.02.20
3	पीठ-1, कानपुर	पीठ-1, 2, 3 व 4 कानपुर	17.02.20 से 20.02.20
4	पीठ-1, लखनऊ	पीठ-1, 2 व 3 लखनऊ	24.02.20 से 28.02.20
5	पीठ-1, नोएडा	पीठ-1 व 2 नोएडा	10.02.20 से 15.02.20
6	पीठ-1, वाराणसी	पीठ-1, 2, 3, 4, 5 व 6 वाराणसी	17.02.20 से 20.02.20
7	पीठ-1, मेरठ	पीठ-1 व 2, मेरठ	03.02.20 से 07.02.20
8	पीठ- झांसी	पीठ-झांसी	10.02.20 से 15.02.20
9	पीठ- मुरादाबाद	पीठ-मुरादाबाद	03.02.20 से 07.02.20
10	पीठ-अलीगढ़	पीठ-अलीगढ़	17.02.20 से 20.02.20
11	पीठ-मुजफ्फरनगर	पीठ-मुजफ्फरनगर	03.02.20 से 07.02.20

ह0-16.12.19

( प्रेम कला सिंह )

एच0जे0एस0,

अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकन: वा0क0अधि0/यु0पी0ग0/2104/2019, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1-सम्बन्धित सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण।
- 2-कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
- 3-मुन्सरिम/वरिष्ठ सहायक (यात्रा भत्ता/विवरण/कम्प्यूटर) मुख्यालय।
- 4-सम्बन्धित राज्य प्रतिनिधि/अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष/सचिव, द्वारा पीठासीन अधिकारी।

माननीय अध्यक्ष महोदय की आज्ञा से,

निबन्धक,

वाणिज्य कर अधिकरण,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।